

पर्यावरण संरक्षण में जनजातीय समाज की भूमिका

Kala Jain

Assistant Professor, Political Science, Government College, Chhabra, District Baran, India

सार

वन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह बात जानने के बाद भी मनुष्य इस जीवनदायिनी ऑक्सीजन के स्रोतों को नष्ट कर रहा है। मनुष्य प्राकृतिक सौंदर्य की परवाह ना करते हुए औद्योगिकीकरण, रोड चौड़ीकरण व अन्य विकास कार्यों के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी है। लगातार हो रही वनों की कटाई से वृक्षों की संख्या कम होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि, रहने के लिए भूमि की आवश्यकता, पेपर उद्योग की आपूर्ति व अन्य कई ऐसे कारण हैं, जो वनों की कटाई को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी वजह से आदिवासियों की जीवन-शैली पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महती भूमिका है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग-अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 'कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है।' कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबन्धन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। भारतीय सन्दर्भ में यदि विवेचना की जाय तो भारतीय महिलाएँ वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही हैं। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातः काल को सूर्य अर्घ्य देना, चन्द्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक अजैविक व जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य, वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरन्तर प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संस्कारों को आधुनिक समाज ने रुढ़िवादिता कह कर हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर कर दिया है। किन्तु आज पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। भारतीय महिलाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहाँ भी पर्यावरण को हानि पहुँचाने का कार्य हुआ है, उसा मुखर विरोध हमारी पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन हुए हैं जिनकी प्रणेता महिलाएँ रही हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 'प्राण जाय पर वृक्ष न जाय' की भावना पर आधारित यह आन्दोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 'चमोली' स्थान से सन 1973 में प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रणेता श्री सुन्दर लाल बहुगुणा थे किन्तु महिलाओं ने इस आन्दोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग एक दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जन सामान्य तक पहुँचाया। इसे 'ईको फेमिनिस्ट' आन्दोलन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएँ ही थीं। गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेणी के वृक्ष काटने आये लोगों को चमोली गाँव की महिलाओं ने यह कहकर भगा दिया कि 'जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे'। विश्लेषण किया जाय तो यह शब्द ही भारतीय महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाता है। जिस तरह उनके जीवन में अपने पितृ-पक्ष का स्थान है वही स्थान वृक्षों का उनके जीवन में है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा स्नेह शायद ही किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर होगा।

परिचय

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये पर्यावरण की प्रगति आदि के नियंत्रण के लिये हमारे देश की सरकार की भूमिका काफी आलोचनात्मक है। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय सरकारों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा कई पर्यावरण संबंधी संस्थाएँ एवं संगठन स्थापित किए गए हैं। कोई भी पर्यावरणीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो पर्यावरण को किसी प्रकार के दुरुपयोग तथा अवक्रमण के खिलाफ सुरक्षित करता है साथ ही ये संगठन पर्यावरण की देखभाल तथा विश्लेषण भी करते हैं एवं इन लक्ष्यों को पाने के लिये प्रकोष्ठ भी बनाते हैं। पर्यावरणीय संगठन सरकारी संगठन हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं या एक चैरिटी अथवा ट्रस्ट भी हो सकते हैं। पर्यावरणीय संगठन वैश्विक, राष्ट्रीय या स्थानीय हो सकते हैं। यह पाठ अग्रणीय पर्यावरणीय संगठनों के बारे में सूचना प्रदान करता है। ये संगठन सरकारी हों या सरकार के बाहर के राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के लिये कार्य करते हैं। भारतीय सभ्यता के आरम्भ से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जागरूकता लोगों में मौजूद थी। वैदिक एवं वैदिककाल के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है लेकिन आधुनिक काल में, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद से, आर्थिक प्रगति को उच्च प्राथमिकता मिलने के कारण, पर्यावरण कुछ कम महत्वपूर्ण स्थान पर रह गया। केवल 1972 में पर्यावरणीय योजना एवं सहयोग के लिये राष्ट्रीय कमेटी (National Committee of Environment and Forest, NCEPC) के गठन के लिये कदम उठाए गए जो धीरे-धीरे पर्यावरण का अलग विभाग बना और 1985 में यह पूर्णरूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हुआ। शुरुआत में भारत के संविधान

में पर्यावरण को बढ़ावा देने या उसके संरक्षण के लिये किसी प्रकार के प्रावधान नहीं थे। लेकिन 1977 में हुए 42वें संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ जोड़ी गईं जो सरकार पर एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) देश में पर्यावरण एवं वन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाने, उसका प्रचार करने, समन्वय करने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक नोडल एजेंसी है। इस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मुख्य गतिविधियाँ भारत के वनस्पति तथा जीव जन्तुओं को संरक्षण एवं सर्वेक्षण, वनों एवं बीहड़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण, वनरोपण को बढ़ावा तथा भूमि अवक्रमण को कम करना सम्मिलित है। यह भारत के राष्ट्रीय उद्यानों (National Park) के प्रशासन के लिये भी जिम्मेदार है। इसके इस्तेमाल होने वाले मुख्य साधन सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण, पुनरुत्पादन कार्यक्रम, संगठनों का समर्थन, समाधान खोजने के लिये शोध एवं आवश्यक मानवशक्ति को कार्य करने के लिये प्रशिक्षण, पर्यावरणीय सूचना का संग्रह एवं वितरण तथा देश की जनसंख्या के सभी भागों में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना है। यह मंत्रालय यूनाइटेड नेशन्स पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme, UNEP) के लिये भी नोडल एजेंसी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board, CPCB) एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में, जल कानून (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण) के तहत हुआ था। इसके अलावा CBCB को वायु कानून (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण), 1981 के तहत क्षमताएँ एवं कार्य भी सौंपे गए थे। यह 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) कानून के प्रयोजनों के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है एवं इसके लिये क्षेत्र निर्माण भी करता है। [1] CBCB के मुख्य कार्य, जैसा कि 1974 के जल कानून (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) तथा 1981 के वायु कानून (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) में बताया गया : (i) राज्यों के विभिन्न भागों में जल धाराओं तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना जिसमें जल प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा कटौती शामिल हो, (ii) देश में वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता का विकास करना। [2]

वायु गुणवत्ता का ध्यान रखना, वायु गुणवत्ता के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणता मॉनीटरिंग प्रोग्राम (NAAQM) का गठन, वायु गुणवत्ता के वर्तमान स्तर का निर्धारण करने, कुल कारखानों तथा अन्य स्रोतों में से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का नियंत्रण एवं व्यवस्थापन करने तथा वायु गुणवत्ता को मानकों तक पहुँचाना जैसे उद्देश्यों के लिये हुआ था। यह उद्योगों को स्थापित करने तथा नगर योजनाओं के लिये आवश्यक वायु गुणवत्ता आंकड़ों के लिये पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। अलवण (शुद्ध) जल एक सीमित संसाधन है जो कृषि, उद्योग, वन्य जीव-जन्तुओं एवं मात्स्यिकी के पालन तथा मानव जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक है। भारत नदियों से परिपूर्ण देश है परन्तु यहाँ पर असंख्य झीलें, तालाब तथा कुएँ हैं, जो पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तक कि बिना पानी का शोधन किए भी। अधिकांश नदियों में मानसून की वर्षा का पानी एकत्र होता है, जो साल के तीन महीनों तक ही सीमित है। अतः वर्ष के बाकी महीनों में ये सूख जाती हैं और अक्सर इनमें शहरों, कस्बों तथा उद्योगों से निष्कासित गंदा पानी ही बहता है जो हमारे कम हो रहे जलस्रोतों की गुणवत्ता पर और खतरा पैदा करता है। भारत की संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जल कानून (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण) 1974 इसलिये बनाया था ताकि हमारे जल भंडारों की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को सुरक्षित रखा जा सके। CBCB का एक मत ये है कि जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी तथा सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रह करो, उन्हें मिलाओ और फिर उनका प्रसार करो। अतः जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग (Water Quality Monitoring, WQM) एवं निगरानी दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय मानकों की गुणवत्ता की आवश्यकताओं के साथ-साथ कुछ पर्यावरण की शर्तों को पूरा करने के लिये बनाए गए घरेलू एवं उपभोक्ता उत्पादों के लिये “पर्यावरण मित्र उत्पाद” के लेबल की योजना काफी प्रभावी हो रही है। इस योजना को “इकोमार्क स्कीम ऑफ इंडिया (Ecomark scheme of India)” कहा जाता है।

विचार-विमर्श

संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून, 1972 में स्टाकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएँ हैं जिनमें 4 अध्यायों में बाँटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवम्बर, 1986 से लागू किया गया। अधिनियम की पृष्ठभूमि व उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल बिन्दुओं के आधार पर सारांश में अधिनियम के निम्न उद्देश्यों हैं:

- पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना
- मानव पर्यावरण के स्टाकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना
- मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना
- पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना



- विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्रधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय करना[3]

मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) एक व्यापक कानून है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंध करने, दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने, प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने, प्रयोगशालाओं का निर्माण तथा जानकारी एकत्रित करने के कार्य सौंपे गए हैं। इस कानून की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को इस कानून का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक पर्यावरण नीति की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान पर्यावरणीय नियमों तथा कानूनों को वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के निम्न मुख्य उद्देश्य रखे गये हैं:

- संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना
- पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी के विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना
- संसाधनों का न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि वे वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें
- आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान में रखना
- संसाधनों के प्रबंधन में खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा भागिदारिता के मूल्यों को शामिल करना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न तकनीकों को अपनाकर करने का प्रावधान किया गया है। इनकी प्राप्ति के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय तथा गैर सरकारी संगठनों की साझी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट नीति में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी दिये गये हैं, जैसे:[4]

- प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है
- सतत विकास का केंद्र बिंदु मानव है
- विकास के अधिकार की प्राप्ति पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए
- प्रदूषणकर्ता को पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति के नियम का पालन करना
- स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना
- भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधानों में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती हैं। पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नाले, नदियां तथा झीलें औद्योगिक कचरे से भरी हुई हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है। वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके परिणाम हमें हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में स्पष्ट देखने को मिलता है। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों का लागू किया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनों के महत्व को समझा ही नहीं गया है। इस दिशा में पर्यावरण नीति (2004) को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दिल्ली में प्रदूषित इकाइयों की बंदी तथा स्थानांतरण, सी.एन.जी का प्रयोग, ताजमहल को प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना तथा संचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण के महत्व का प्रचार-प्रसार आदि न्यायपालिका के सराहनीय प्रयासों की एक झलक है। जनहित याचिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम आदमी की भागीदारों को प्रोत्साहित किया है। यह इसके प्रयासों का ही फल है कि आज सरकार तथा नीति निर्माताओं की सूची में पर्यावरण प्रथम मुद्दा है तथा वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हो गये हैं।[5]

परिणाम

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में लगभग 37 करोड़ आदिवासी रहते हैं। 2011 की जनगणना की माने तो सिर्फ भारत में आदिवासियों की 705 जनजातियां हैं और हिस्सेदारी देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जो आबादी के लिहाज से करीबन दस करोड़ होती है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहां की कुल आबादी का 27 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो संख्या में लगभग 86 लाख हैं। इनमें 60 लाख वैसे आदिवासी हैं जो 'सरना' धर्म को मानते हैं जो कि प्रकृतिवाद पर आधारित है। इसमें प्रकृति की उपासना की जाती है। इनकी भाषा, संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन, परंपरा आदि अलग होती है। जबकि पेड़-पौधे, पहाड़, प्राकृतिक संपदा आदि इनकी पूजा पद्धति होती है। अगर इन सबको सरना धर्म कोड के तहत अलग धर्म की पहचान मिलती है तो दशकों से चले आ रहे इनके संघर्ष की जीत होगी। 11 नवंबर को जब झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव पारित हो रहा था तो उस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड को जल, जंगल, जमीन से जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों की घटती आबादी के रोकथाम लिए अहम बताया। ऐसा मानना आदिवासी समाज का भी है। आदिवासी मामलों के जानकार अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं, सरना धर्म कोड अगर अलग धर्म के रूप में स्वीकार होता है तो ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक भविष्य का बड़ा निवेश होगा। देश की एक बड़ी आबादी जो प्रकृति को मानती है। जिसका जुड़ाव जल, जंगल, जमीन से है, उसे संवैधानिक रूप से पहचान मिलेगी तो जाहिर है कि इसके बाद इनकी प्राकृतिक पहचान का और संवर्धन होगा। जिसका सकारात्मक असर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन आदि पर पड़ेगा। "सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक ग्लैडन डुंगडुंग कहते हैं, "आदिवासियों के लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग पर प्रस्ताव पारित करना मैं समझता हूं कि पर्यावरण और मानवजाति के लिए जरूरी कदम है। प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना जीवन की परिकल्पना असंभव है। सरना कोड के तहत अगर आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान मिलेगी, तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम साबित होगा इसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज) की जारी रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों के रीति-रिवाज, परंपरा और उनका प्राकृति से जो लगाव है, वो एक बड़ा रास्ता है जयवायु परिवर्तन को बचाने के लिए।" वो यह भी कहते हैं कि सात दशकों से जिस तरह विकास के नाम पर आदिवासियों के सरना स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उसपर भी रोक लगेगी। हालांकि नियमगिरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि अनुच्छेद 25, 26 के तहत अन्य धर्मों को जो पूजा पद्धति की आजादी दी गई है उसी तरह आदिवासी समाज को उनके द्वारा किए जा रहे पूजा पद्धति की आजादी को सुनिश्चित किया जाए। सरना स्थल आदिवासी के उस पवित्र जगह को कहा जाता है कि जहां आदिवासी अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न त्योहारों के मौके पर एकत्रित होकर प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में 32 आदिवासी जनजाति पायी जाती हैं। जिसमें आठ आदिम जनजाती कहलाती हैं। इन्हें पीवीटीजी: परटिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। फिलहाल यह सभी जनजाती हिंदू कैटेगरी में आते हैं। दस वर्षों में होने वाले जनगणना में मूल रूप से छह धर्मों का ही उल्लेख होता है और इनके लिए अलग अलग कॉलम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन। इन छह धर्मों की 49 उप श्रेणियां हैं। हिंदू धर्म के 23 उप श्रेणियों में अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब इस समाज की मांग है कि 2021 में होने वाले जनगणना से पहले आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड प्रावधान किया जाए। आदिवासियों के लिए चिंता का सबब यह भी रहा है कि इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। यह चिंता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जाहिर कर चुके हैं और उनका कहना है कि आदिवासियों को अलग सरना धर्म कोड दिए जाने के बाद घटती आबादी रोक लगेगी। झारखंड सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक 1931 से 2011 तक आदिवासियों की आबादी 38.03 प्रतिशत से घटकर 28.02 प्रतिशत हो गई है। लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग लेकर आंदोलन वाले राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा का दावा है कि झारखंड में 86 लाख आदिवासियों में 62 लाख सरना आदिवासी हैं। उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के दौरान 49 लाख 57 हजार 467 लोगों ने अपना धर्म सरना धर्म लिखा है। जिसमें 41 लाख 31 हजार 283 झारखंड के हैं। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण भी एक मुद्दा रहा है। लोगों का मानना है कि आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान मिल जाने के बाद उनके हो रहे धर्मांतरण भी रुकेंगे। अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं, "ब्रिटिश काल में 1871 से 1921 तक आदिवासियों को अलग अलग समूह या नाम से उन्हें धार्मिक पहचान मिलती रही है। जबकि 1931 में सेंसस कमिश्नर जेएच हटन ने आदिवासी समुदाय की पहचान एक धर्म के तौर पर की। दिवतीय विश्व युद्ध के कारण 1941 में जनगणना नहीं हो पाया। और जब आजाद भारत में 1951 में जनगणना हुई तो सरकार में बैठे लोगों का मानना था कि आदिवासी समाज पिछड़े हुए हिंदू हैं। इसलिए उन्होंने इनका धर्म कोड वाला कॉलम हटा दिया जबकि सच्चाई यह है कि कालांतर में आदिवासियों का एक छोटा सा हिस्सा अपने पड़ोसी समाज के धर्मों से प्रभावित हुआ तो उसी को आधार बनाते हुए इन्हें हिंदू धर्म की पिछड़ी आबादी बताया जाने लगा, जो कि गलत है।" [6,7]

निष्कर्ष

जनजातीय कार्य विभाग, प्रदेश सरकार का एक प्रमुख विभाग है, जिसे जनजाति वर्गों के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग जहां एक ओर अपने स्तर पर शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ अनुपूरक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम तथा विशेष घटक योजना के संबंध में

नोडल विभाग के नाते विभिन्न विकास विभागों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाते हुए योजनाओं के बजट प्रावधान एवं अनुश्रवण का कार्य भी कर रहा है।[8,9]

- जनजाति तथा विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना ।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का उत्थान कर उन्हें अन्य जनजाति वर्गों के समकक्ष लाना ।
- जनजाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए शिक्षा विषयक योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू करना ।
- जनजाति की परम्परागत संस्कृति को पाठ्यक्रमों में स्थान देना जनजाति महिलाओं के लिए को-आपरेटिव सोसायटियों का गठन ।
- विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं के माध्यम से रोजगार के कौशल उन्नयन रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के साधन उपलब्ध कराना ।
- जनजाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना ।
- जनजातीय क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों को गैर जनजातीय क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों के समकक्ष लाना ।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के मानव विकास सूचकांक को कम से कम अन्य जनजातियों के मानव विकास सूचकांक के समकक्ष लाना ।
- जनजाति वर्ग की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना ।
- पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जो अतीव घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवंशिक प्रभाव, वायुमण्डल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक दुष्प्रभाव हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नये रोगों से आक्रान्त होना आदि देखे जा रहे हैं। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
- अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत 'जल' को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू, गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं, परिणामस्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं जिसमें उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवनाशी रसायन मानव शरीर में पहुंच कर खून को विषैला बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय-समय पर देते रहें। अच्छे व मंहगें ब्रांड के कपड़े पहनाने से कहीं महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य व उनकी पूंजी है।[10]
- आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। माना कि आज मानव विकास के मार्ग पर अग्रसर है परंतु वहीं बड़े-बड़े कल-कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, जलाने वाला हाइड्रोकॉक, ए.सी., इन्वर्टर, जेनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। वस्तुतः वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है।
- सही मायनों में पर्यावरण पर हमारा भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण को और भी ध्यान देना होगा। अब हाल यह है कि महानगरों में ही नहीं बल्कि गाँवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करने लगे हैं। बच्चे के जन्म की खुशी, शादी-पार्टी सभी में डी.जे. एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहाँ गाँवों को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया है। वहीं मोटर साइकिल व वाहनों की चिल्ल-पों महानगरों के शोर को भी मुँह चिढ़ाती नजर आती है। औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण-शक्ति का हास होता है। ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव पड़ता है।
- जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतुचक्र का परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ता हिमखंड को पिघला रहा है। सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए अपने बेहतर कल के लिए '5 जून' को समस्त विश्व में 'पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है।[11]



- 'पौधा लगाने से पहले वह जगह तैयार करना आवश्यक है जहां वह विकसित व बड़ा होगा।'
- उपर्युक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए यदि थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। सर्वप्रथम हमें जनाधिक्य को नियंत्रित करना होगा। दूसरे जंगलों व पहाड़ों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। देखने में जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग कई बार घरेलू ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरे के पूरे जंगल स्वाहा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो छोटे-छोटे व बहुत कम आबादी वाले गांव हैं उन्हें पहाड़ों पर सड़क, बिजली-पानी जैसे सुविधाएं मुहैया कराने से बेहतर है उन्हें प्लेन में विस्थापित करें। इससे पहाड़ व जंगल कटान कम होगा, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।[12]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 10 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 मार्च 2015.
2. Webdunia. "पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं हमारी भारतीय परम्पराएं". hindi.webdunia.com. मूल से 20 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-07-01.
3. "पृथ्वी सम्मेलन में किया था देश का प्रतिनिधित्व". Amar Ujala. अभिगमन तिथि 2020-07-01.
4. "विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज, जानिए कितने प्रतिशत सुरक्षित हैं वन्यजीव". Jansatta. 2019-07-28. मूल से 29 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-07-01.
5. पर्यावरण प्रदूषण की पूरी जानकारी
6. पर्यावरण प्रदूषण: निबंध Es
7. पर्यावरण प्रदूषण : प्रकार, नियंत्रण और उपाय (भारत जल पोर्टल)
8. विलियम एम. मार्श, पर्यावरण भूगोल: विज्ञान, भूमि उपयोग, और पृथ्वी प्रणाली 2014-08-08 में वेबैक मशीन, जॉन विले, 1996 में संग्रहीत
9. सविंदर सिंह, पर्यावरण भूगोल संग्रहीत 2014-08-08 वेबैक मशीन पर, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ। III.
10. नोएल कास्त्री, डेविड डेमेरिट, डायना लिवरमैन, ब्रूस रोड्स; ए कंपेनियन टू एनवायरनमेंटल ज्योग्राफी 2014-08-08 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत, जॉन विले एंड संस, (गूगल ईबुक)
11. एरिक्त होल्ड-जेन्सेन (1999): भूगोल - इतिहास और अवधारणाएँ: एक छात्र की मार्गदर्शिका। लंदन: सेज। आईएसबीएन ९७८०७६१९६१८०२
12. डेविड डेमेरिट (2009): बाहरीता से इनपुट और हस्तक्षेप तक: भूगोल में पर्यावरण अनुसंधान तैयार करना। में: ब्रिटिश भूगोलवेत्ता संस्थान के लेनदेन 34 (1), पीपी. 3-11